# झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

## झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

# झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

## विषय सूची


प्रस्तावना ।

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएँ ।
3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी लोक सेवाओं के परिदान हेतु सरकार का कर्त्तव्य ।
4. राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग ।
5. सेवा की शर्त्त एवं कार्यविधि ।
6. इस्तीफे और हटाना ।
7. राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के गठन का आदेश अंतिम होने की स्थिति ।
8. राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कर्मचारी ।
9. राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कार्य ।
10. राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कार्रवाई निहित प्रतिवेदन ।
11. दण्ड एवं अपील ।
12. राज्य आयोग की शक्ति एवं पद्धति ।
13. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव ।
14. सद्विश्वास में की गई कार्रवाई का संरक्षण ।
15. कठिनाईयों का निराकरण ।
16. नियम बनाने की सरकार की शक्ति ।

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

# झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक, 2011

## [सभा द्वारा यथापारित]

सरकार द्वारा आम जनता को सार्वजनिक सेवायें पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेही, पहुँच तथा विश्वसनियता या उससे आनुषंगिक मामलों के लिये ऐसी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सेवा के माध्यम से प्रदान करने के लिए

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो –

## अध्याय– I

## प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**

(i) यह अधिनियम झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii) यह ऐसी तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं इस अधिनियम में भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए राज्य सरकार द्वारा भिन्न–भिन्न तिथियाँ नियत की जा सकेगी तथा उसमे किसी भी उपबंध के संबंध में उसमे प्रारंभ के प्रति किसी निर्देष का अर्थ उस तारीख से प्रति निर्देष के रूप में लगाया जा सकेगा जिसको वह उपबंध प्रवृत्त होगा।

2. **परिभाषाएँ**

(i) जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विधेयक में :–

(क) **"पहुँच"** से अभिप्रेत है, वह अर्थ जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011 की धारा (2)(1)(a) में परिभाषित है।

(ख) **"सरकार"** से अभिप्रेत है, राज्य सरकार

(ग) **"सक्षम पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है कि राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग के प्रमुख जो समय–समय पर अधिसूचित हो एवं जिसमें सरकार के सचिव, सरकार के विभागाध्यक्ष, सरकारी संगठन एवं सरकारी निकायों के प्रमुख सम्मिलित होंगे।

(घ) **"इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिदान"** से अभिप्रेत है ऐसी सेवायें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदायी हो। इसमें फार्म एवं आवेदनों की प्राप्ति, अनुज्ञापत्र, अनुमति पत्र, प्रमाण पत्र, स्वीकृति या अनुमोदन तथा रकम अदायगी रसीद जारी करना सम्मिलित होगा।

(ङ) **"इलेक्ट्रॉनिक माध्यम"** से अभिप्रेत है, ऐसी कोई प्रणाली, प्रक्रिया या उपयोग जो सेवा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रदान करे।

(च) **"कानून"** से अभिप्रेत है, संसद या राज्य विधानसभा द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश या राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 240 के तहत बनाये गये विनियम, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद–357 के खण्ड–1 के उप खण्ड (क) में प्रदत्त शक्तियाँ के अधीन बनाई गई अधिनियम जिसमें नियमावली विनियम, उपविधि और आदेश सम्मिलित होंगे।

(छ) **"अधिसूचना"** से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना।

(ज) **"व्यक्ति"** से अभिप्रेत है कम्पनी, व्यक्तियों के समूह एवं संगठन।

(झ) **"विहित"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित।

(ञ) **"लोक प्राधिकरण"** से अभिप्रेत है ऐसी इकाई जो कानून के तहत् गठित हो एवं ऐसी कोई इकाई जो सरकार के स्वामित्व में हो और सरकार द्वारा नियंत्रित हो,

(ट) **"लोक सेवा"** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा सीधे तौर पर या किसी सेवा प्रदायों के माध्यम से सेवा देना। इसमें फार्म एवं आवेदनों की प्राप्ति, अनुज्ञापत्र, अनुमति पत्र, प्रमाण पत्र, स्वीकृति तथा अनुमोदन एवं रकम अदायगी रसीद जारी करना सम्मिलित होगा।

(ठ) **"नियम"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के तहत् बनाये गये नियम।

(ड) **"सेवा प्रदाता"** से अभिप्रेत है व्यक्ति, एजेंसी, कम्पनी, साझेदारी फर्म, सोल प्रोपराईटर फर्म या ऐसा व्यक्ति या एजेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा देने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत हो।

(ढ) **"राज्य आयोग"** से अभिप्रेत है धारा–4 की उपधारा (1) के तहत् स्थापित राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग।

(ड़) **"राज्य मुख्य आयुक्त"** से अभिप्रेत है, धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के मुख्य आयुक्त।

(त) **"राज्य आयुक्त"** से अभिप्रेत है, धारा–4 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के आयुक्त।

## अध्याय– II

## इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिदान

**3. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी लोक सेवाओं के परिदान हेतु सरकार का कर्त्तव्य**

(1) सरकार का हर सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक सौ अस्सी दिनों के भीतर निम्नलिखित विहित रूप में प्रकाशित करेगा।

(क) लोक सेवायें जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी;

(ख) वह तिथि जिस तक ऐसी प्रत्येक सेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी;

(ग) ऐसी सेवा के स्तर एवं उपलब्ध कराने का तरीका।

(घ) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोधित सेवा के परिणाम से पीड़ित व्यक्ति के लिए शिकायत निवारण तंत्र की उपलब्ध व्यवस्था;

(ङ) कोई अन्य निर्धारित जानकारी और उसके बाद इन प्रकाशनों की समीक्षा एवं अद्यतनीकरण हर साल किया जायेगा।

2. उपर वर्णित के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ से पाँच साल के भीतर सभी सार्वजनिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा;

परन्तु इस अवधि को कारण अभिलिखित करते हुए आगे अधिकतम तीन साल तक सरकार द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

परन्तु कोई सेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान करना सम्भव नहीं है तो सरकार उक्त आशय की एक अधिसूचना जारी करेगी;

3. सक्षम प्राधिकार, इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं को शुरू करते समय यह सुनिश्चित करेगा –

(क) ऐसी सेवाओं से संबंधित प्रक्रिया और प्रपत्रों को प्रारम्भ में और उसके बाद समय–समय पर सरल बनाया जायेगा।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं तक पहुँच के लिए सहायता भी उपलब्ध होगा।

(4) आवष्यकता के अनुरूप अंतरसंक्रियता एवं सुरक्षा सुनिष्चित करने के लिये सरकार समय–समय पर इलेक्ट्रॉनिक शासन के मानक निर्धारित कर सकेगा।

## अध्याय–III

### राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय

4 राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग

(1) राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचित कर एक संस्था गठित करेगी जो झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के रूप में जाना जायेगा। यह आयोग प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये इस अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेगा।

(2) राज्य आयोग में

(क) राज्य मुख्य आयुक्त और

(ख) राज्य आयुक्त, आवष्यकतानुसार आयुक्तों की संख्या अधिकतम दो होगी, होगें।

(3) राज्य के मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(4) सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देषन और राज्य आयोग के मामलों के प्रबंधन की शक्ति राज्य मुख्य आयुक्त में निहित होगी एवं राज्य आयुक्त द्वारा उन्हे इस कार्य में सहायता प्रदान की जाएगी।

(5) राज्य मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त लोक जीवन में प्रतिष्ठित तथा कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रषासन एवं प्रषासन के बड़े ज्ञाता और अनुभव प्राप्त व्यक्ति होंगे और सचिव या समकक्ष स्तर पर भारत सरकार या राज्य सरकार में पूर्व में पदस्थापित रहे हों।

(6) राज्य आयोग का मुख्यालय राज्य में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर आयोग राज्य में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

5 सेवा की शर्त्ते एवं कार्यावधि

(1) राज्य मुख्य आयुक्त नियुक्ति के तिथि से पाँच वर्षो के लिये या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो नियुक्त होंगे। वे पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होगे।

(2) प्रत्येक आयुक्त नियुक्ति की तिथि से पाँच वर्षो के लिये या 65 वर्ष की उम्र तक जो पहले हो, नियुक्त होंगे। वे पुर्ननियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु प्रत्येक राज्य आयुक्त इस उप धारा के तहत उनके पद त्याग करने पर धारा 4 की उप धारा (3) में निर्दिष्ट तरीके से राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

परन्तु जब राज्य आयुक्त, राज्य मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, उनके कार्य की अवधि राज्य के आयुक्त और राज्य के मुख्य आयुक्त के कार्यकाल को मिला कर पाँच वर्षो से अधिक नहीं होगा।

(3) राज्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त किसी भी समय राज्यपाल को संबोधित करते हुये लिखित रूप में अपने पद से इस्तीफा दे सकेगें।

परन्तु राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को धारा 6 के तहत निर्दिष्ट तरीके से हटाया जा सकेगा।

(4) मुख्य राज्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों की वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्ते मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों को देय वेतन, भत्ते एवं सेवा की अन्य शर्ते यथा पेंषन, उपादान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

6 **इस्तीफे और हटाना**

(1) राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त, राज्य सरकार को संबोधित कर लिखित रूप में सूचित कर अपना पद त्याग सकता है।

परन्तु राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी जाती है, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन माह तक या उनके उत्तराधिकारी नियुक्ति होने तक या कार्यकाल समाप्ति तक जो पहले हो, कार्यालय में बने रहेंगे।

(2) राज्य मुख्य आयुक्त या राज्य आयुक्त को प्रमाणित कदाचार अथवा अक्षमता के आधार पर, जिसकी जाँच उच्च न्यायालय के न्यायाधीष द्वारा की गयी हो तथा संबंधित राज्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया हो, राज्य सरकार के आदेष के अलावा अपने पद से हटाया नहीं जा सकेगा।

(3) राज्य मुख्य आयुक्त एवं आयुक्त के कदाचार या अक्षमता की जाँच करने के लिये राज्य सरकार प्रक्रिया विनियमित करेगी।

7 **राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के गठन का आदेष अंतिम होने की स्थिति।**

राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के मुख्य आयुक्त या आयुक्त के रूप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति का राज्य सरकार का कोई आदेष तथा राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कार्य एवं कार्यवाही पर केवल इसलिये प्रष्न चिन्ह नहीं लगाया जायेगा की राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के गठन में कोई त्रुटि थी।

8 **राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कर्मचारी –**

(1) राज्य सरकार मुख्य आयुक्त और आयुक्तों को ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध करायेगा जो इस अधिनियम के कार्यों को कुषलता से निष्पादित करने के लिये आवष्यक हों। इस अधिनियम के उद्देष्यों के लिये नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भत्ता एवं सेवा शर्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

(2) राज्य आयोग के अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य मुख्य आयुक्त के समान्य पर्यवेक्षण में अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे।

9 **राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय आयोग के कार्य–**

(1) राज्य आयोग –

(क) नियमित रूप से इस अधिनियम के कार्यान्वयन में निम्नलिखित का अनुश्रवण करेगा।

(i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का प्रकाषन तथा प्रकाषित समयसीमाओं, सेवा प्रदान करने का तरीका एवं सेवा के स्तर का अनुपालन

(ii) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सभी सेवाओं को प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिषा में सरकार द्वारा की गई आवधिक प्रगति।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के प्रदान करने के लिए संबंधित प्रक्रियाओं और प्रपत्रों का सरलीकरण।

(iv) सार्वजनिक परामर्ष, फीडबैक और षिकायत निवारण तंत्र की प्रभावषीलता।

(v) इलेक्ट्रॉनिक शासन मानकों के अनुपालन की दिशा में सरकार द्वारा की गई आवधिक प्रगति।

(ख) राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर सरकार द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करेगा।

10. (1) राज्य आयोग इस अधिनियम के प्रावधानों के पिछले वर्ष के कार्यान्वयन पर एक वार्षिक प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र तथा निर्धारित समय पर प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा तथा इसकी एक प्रति सरकार को प्रेषित करेगा।

(2) प्रत्येक विभाग, उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सरकारी प्राधिकार के संबंध में निर्धारित सभी सूचनायें संग्रह कर आयोग को उपलब्ध करायेंगे तथा इन सूचनाओं को उपलब्ध कराने की सभी आवष्यकताओं को पूरा करेंगे, उस सूचना में शामिल होगा–

(क) उनके नियंत्रण के सरकारी प्राधिकार द्वारा सभी सार्वजनिक सेवायें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने तक, धारा (3) की उपधारा (2) के अनुपालन को प्राप्त करने की योजना तथा धारा (3) की उपधारा (1) के अधीन प्रकाषित योजना के लागू करने की अद्यतन स्थिति

(ख) जिस वर्ष का प्रतिवेदन हो उस वर्ष में

(i) इलेक्ट्रॉनिक सेवा के अनुरोधों की संख्या और कुल सेवा अनुरोध जिनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा उपलब्ध करायी गयी।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सेवा के अनुरोधों की संख्या जिनकी सेवा लागू सेवा स्तर के अनुरूप उपलब्ध करायी गयी तथा शेष मामलों का विष्लेषण।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान करने के संबंध में षिकायत निवारण तंत्र द्वारा प्राप्त षिकायतों की संख्या तथा ऐसी षिकायतों एवं उनके निपटारे का विश्लेषण।

(iv) सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवा परिदान को मजबूत करने के लिये उठाये गये कदम।

(v) सक्षम प्राधिकारी द्वारा सहायता करने के लिये उठाये गये कदम सहित पहुँच की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कदम।

(vi) इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकार को प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण एवं उसके अनुसरण में सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई कार्यवाई

(ग) आगामी विकास, सुधार, आधुनिकीकरण और विभागों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं का एकीकरण और कानूनी और नीतिगत उपाय जो इलेक्ट्रॉनिक सेवा परिदान में सुधार लाने के लिए आवश्यक हो के संबंध में अनुषंसा।

(घ) कोई अन्य सूचना जो समय–समय पर राज्य आयोग द्वारा वांछित हो। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत में यथा शीघ्र उपधारा (1) के अनुरूप राज्य आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी।

(3) यदि राज्य आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के संदर्भ में किसी विभाग की कार्यप्रणाली इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है तो आयोग ऐसे कदमों की अनुषंसा सरकार को कर सकता है जो कार्यप्रणाली को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बना सकें।

## अध्याय–IV

### दण्ड एवं अपील

11. (1) कोई भी व्यक्ति निर्धारित रीति से इस अधिनियम के अनुपालन नहीं होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के समक्ष षिकायत दर्ज कर सकेगा तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा षिकायत का निवारण नहीं होने की स्थिति में राज्य आयोग के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।

(2) जहां कोई भी सक्षम प्राधिकार या उसका अधीनस्थ किसी उचित कारण के बिना इस अधिनियम के प्रावधानों को धारा 3 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुपालन करने में विफल रहा है या उनके द्वारा जानबूझकर अधूरा झूठा या भ्रामक जानकारी दी गयी हो। राज्य आयोग, सक्षम प्राधिकार या उसके अधीनस्थ को सुनवाई का अवसर देते हुए अधिकतम पाँच हजार रूपये का जुर्माना लगा सकेगा।

12. राज्य आयोग की शक्ति एवं पद्वति –

(1) राज्य आयोग सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (5 of 1908) में निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं रहेगा। लेकिन इस अधिनियम तथा इसके अन्तर्गत बनाये गये

नियमों के अन्तर्गत प्रकृति न्याय के सिद्वांतो से निर्देषित होगा। राज्य आयोग अपनी प्रक्रिया तथा अपने बैठकों के स्थान का निर्धारण करने हेतु सक्षम होगा।

(2) राज्य आयोग में किसी भी मामले में जांच करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट को वाद की सुनवाई के लिये प्राप्त शक्तियाँ निहित रहेगी यथा

(क) किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के लिये सम्मन करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना

(ख) दस्तावेजों या अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की खोज और उनका उपस्थापन

(ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना,

(घ) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना,

(ङ) अपने निर्णय की समीक्षा

(च) विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण किसी आवेदन को खारिज करना या विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण अधिकतम दो अवसर प्रदान करने के बाद इस संबंध में एकपक्षीय निर्णय लेना।

(छ) कोई अन्य निर्धारित मामले।

## अध्याय – V

### विविध

13. **अधिनियम का अधिभावी प्रभाव** – इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत किसी अन्य कानून में निहित प्रावधानों से असंगत होने पर, इस अधिनियम के प्रावधान अधिभावी होंगे।

14. **सद्विश्वास में की गई कार्रवाई का संरक्षण**– इस अधिनियम अथवा इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अधीन सद्विश्वास से किये गये किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी ।

15. **कठिनाईयों का निकारण** – (i) अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो सरकार द्वारा ऐसा आदेश, जो कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक हो, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा तथा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं होगा।

(ii) इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी आदेश यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे ।

16. **नियम बनाने की सरकार की शक्ति** (1) सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने हेतु नियम बनाएगी ।

(2) विशेष रूप से एवं पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या कुछ मामलों को प्रदान कर सकते है :–

(क) धारा 3 की उपधारा (1) (ग) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा प्रदान की जाने वाली सार्वजनिक सेवाओं की पहचान , प्रकाशन एवं परिदान की रीति एवं रूप,

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत प्रत्येक सेवा के परिदान के लिये उत्तरदायी नामित पदाधिकारी की पहचान तथा संबंधित पदाधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत उनके द्वारा अनुरोध की गई लोक सेवा के परिणाम के बारे में पीड़ित व्यक्ति के लिए शिकायत निवारण तंत्र,

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन किसी सेवा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परिदान करने की अवधि विस्तार करने की प्रक्रिया

(ङ) धारा 3 की उपधारा (2) के द्वितीय परन्तुक के अधीन कोई सेवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में परिदान करना संभव नहीं होने के निष्चयीकरण के लिये प्रक्रिया का निर्धारण

(च) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत सेवा प्रदाय की सेवा स्तर सहित गुणवत्ता

(छ) सेवाओं की प्राथमिकता, प्रक्रिया सरलीकरण तथा उपयोगकर्त्ता की संतुष्टि के लिये सार्वजनिक परामर्ष एवं फीडबैक की प्रक्रिया

(ज) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन विषेष वर्ग के उपयोगकर्त्ता को इलेक्ट्रॉनिक सेवा के लिये सहायता प्राप्त पहुँच की रीति

(झ) धारा 11 की उपधारा 1 के तहत सक्षम प्राधिकार के विरूद्व षिकायत दायर करने की प्रक्रिया

(ञ) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन राज्य मुख्य आयुक्त तथा राज्य आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण

(ट) धारा 8 के अधीन इस अधिनियम के उद्देष्यों के लिये नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा राज्य आयोग के कर्मियों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्त्तों का निर्धारण

(ठ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने का विहित प्रपत्र

(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्गत प्रत्येक अधिसूचना या नियम यथाषीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जाएगी ।

यह विधेयक झारखण्ड इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक, 2011 दिनांक 30 अगस्त, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 30 अगस्त, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 54--50--12-9-2011 ।